भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–207/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
15.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 10.05.2020 को रखें। अभिलेख 10.05.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
10.05.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 02.09.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 02.09.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
02.09.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी का स्थानांतरण एवं नए पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को न्यायालय कार्य के निष्पादण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि 10.11.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 10.11.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
10.11.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** के पत्रांक–**155**, दिनांक–**20.08.2020** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक **28.08.2020** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **बिचन बोबोंगा**, पिता–**स्व0 बुधराम बोबोंगा**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**डुमरिया**, थाना–**गोईलकेरा**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा–**डुमरिया**, थाना नं0–**560**, खाता नं०–**110**, प्लॉट नं0–**1161**, रकवा–**0.24 ए0** भूमि क्रेता **टीलु मेलगान्डी**, पिता–**जेना मेलगान्डी**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**डुमरिया**, थाना–**गोईलकेरा**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **बिचन बोबोंगा**, पिता–**स्व0 बुधराम बोबोंगा**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**डुमरिया**, थाना–**गोईलकेरा**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**गोईलकेरा**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **हो (अ.ज.जा.)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **मकान मरम्मती एवं अन्य घरेलु कार्य हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **गोईलकेरा** अंचल अंतर्गत **रकवा 4.66 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **गोईलकेरा** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **बिचन बोबोंगा**, पिता–**स्व0 बुधराम बोबोंगा**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**डुमरिया**, थाना–**गोईलकेरा**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **1,00,000/– (एक लाख)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 10/11/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	